

टेण्डर फार्म

आर्मी स्कूल, हेमपुर – केण्टीन

मैं पुत्र श्री केण्टीन के लिए निम्नखित दर प्रस्तुत करता हूँ :-

| | | |
|-----|--------------------------|-----------|
| | मासिक किराया | रु0 |
| 1. | चाय (100 मि0ली0) | रु0 |
| 2. | समोसा (70 ग्राम) | रु0 |
| 3. | पेटीज (60 ग्राम) | रु0 |
| 4. | ब्रेड पकोड़ा (150 ग्राम) | रु0 |
| 5. | कॉफी (100 मि0ली0) | रु0 |
| 6. | जूस (200 मि0ली0) | रु0 |
| 7. | डोसा | रु0 |
| 9. | इडली | रु0 |
| 10. | छोले भटूरे | रु0 |
| 11. | पूरी सब्जी | रु0 |
| 12. | बर्गर(बेज.) | रु0 |
| 13. | पेस्ट्री | रु0 |
| 14. | आलू बोण्डा | रु0 |
| 15. | छोले चावल | रु0 |

हस्ताक्षर


नाम

पता

.....

.....


.....


Principal
Army Public School
Hempur (U.S. Nagar)

आर्मी स्कूल, हेमपुर

केन्टीन चलाने सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. आर्मी स्कूल, हेमपुर में केन्टीन चलाने के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी :-
 - क) केन्टीन के ठेकेदार को रु 5000/- सुरक्षा राशि के रूप में स्कूल में जमा करने होंगे जो वर्ष की आखिरी किस्तों में समायोजित किये जाएंगे।
 - ख) केन्टीन का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाएगा, ग्रीष्मकाल व शीतकालीन अवकाश के कारण केवल 10 माह का किराया प्रत्येक महीने की 05 तारीख तक अग्रिम जमा करना होगा।
 - ग) केन्टीन में बेचे जाने वाले सामान की रेट लिस्ट (जो स्कूल मैनेजमेंट से स्वीकृत होगी) केन्टीन में टांगी जायेगी और उस पर लिखे रेट से अधिक पर सामान नहीं बेचा जायेगा।
 - घ) केन्टीन में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
 - ङ) सिर्फ मध्यान्तर में ही केन्टीन बच्चों के लिए खुली रहेगी। बाँकी समय पर केन्टीन बच्चों के लिए वर्जित रहेगी।
 - च) स्टाफ तथा बच्चों के प्रति शिष्ट व्यवहार किया जाएगा तथा अशोभनीय आचरण सहन नहीं किया जाएगा।
 - छ) स्कूल मैनेजमेंट से स्वीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वस्तु की बिक्री नहीं की जाएगी।
 - ज) किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद, सुपारी, गुटका, पान मसाला, सिगरेट, च्यूइंगम तथा अन्य मादक पदार्थ सर्वथा वर्जित रहेंगे।
 - झ) पालिथिन थैलियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा हालांकि जरूरत पड़ने पर कागज की थैलियों का प्रयोग किया जाएगा।
 - ञ) चाय/काफी पेय पदार्थ आदि काकरी/थर्मोकॉल के कप/गिलासों में ही दी जाएगी जबकि पेपर प्लेटों व नेपकिन का प्रयोग छोटी खाने की वस्तुओं के लिए किया जाएगा।
 - ट) पक्के नियम के तहत केवल निम्नलिखित सामग्री ही बेची जाएगी :-
पेयपदार्थ – स्टेण्डर्ड स्तर के सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, काफी।
खाद्य पदार्थ/स्नेक्स – समोसा, पेटेज, बर्गर(शाकाहारी), कटलेट, ब्रेड पकोडा, बिस्कुट,पेस्ट्री, चिप्स (कम्पनी के बने) एवं कन्फेक्सनरी वस्तुएं (च्यूइंगम को छोड़ कर)।
2. प्रत्येक टेण्डर डालने वाले व्यक्ति को अपना केन्टीन चलाने का अनुभव सर्टिफिकेट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
3. टेण्डर जिस व्यक्ति के नाम पर स्वीकृत होगा उसी को केन्टीन चलानी होगी किसी अन्य को अधिकृत नहीं किया जाएगा।
4. केन्टीन स्कूल के समयानुसार गर्मियों में – सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा सर्दियों में – सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोली जाएगी।
5. चेंयरमैन, आर्मी स्कूल, हेमपुर किसी भी स्थिति में न्यूनतम/अधिकतम दर को ही स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं हैं व उन्हें किसी भी निविदा को बिना कोई भी कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा तथा उनका फैसला ही अंतिम एवं मान्य होगा।
6. टेण्डर डालने की आखिरी तिथि 02 अगस्त 2023 11 बजे तक है।


Principal
Army Public School
Hemapur